UPAZ010084482022

JO CODE UP6447

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), आजमगढ़।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–४२८४/२०२२

किशन कन्नौजिया उम्र लगभग २८ वर्ष पुत्र प्रेमचन्द्र साकिन लहसड़ी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर। ..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार ..... अभियोगी।

दिनाँक १५.१०.२०२२

अभियुक्त **किशन कन्नौजिया** की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **मुकदमा अपराध सं०–१२२/२०२२, धारा–३६३, ३६६, ३६८, १२०बी भा०दं०सं०, थाना पवई, जनपद आजमगढ़** के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक **२३.०९.२०२२** से जेल में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में **मुकुन्द कुमार** द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा कथन किया गया है कि जमानत में दिये गये तथ्य सही है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक २७.०४.२०२२ को समय करीब ११.०० बजे वादी मुकदमा रविन्दर पाण्डेय के गांव के शेखर पासवान पुत्र रामसरन पासवान व अश्वनी पासवान पुत्र रामसरन पासवान वादी की लड़की/पीड़िता उम्र लगभग १७ वर्ष, को बहला–फुसला कही लेकर चले गये। वादी ने पीड़िता की काफी तलाश किया किन्तु वह नही मिली।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष हैं। उसे पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से मुल्जिम बना दिया गया है। उसके ऊपर लगाया गया आरोप पूर्णतया फर्जी व कूटरचित है। अभियुक्त का नाम पुलिस की मिली भगत से पाँच महीने के पश्चात प्रकाश में लाया गया। आवेदक/अभियुक्त पढ़ाई करने वाला छात्र है जो प्रयागराज में पढ़ाई करता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दिनांक २३.०९.२०२२ से जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नही है। अतः अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो ऐक्ट द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया

गया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक विशेष लोक अभियोजक पाक्सो ऐक्ट की बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के मुताबिक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त दिनांक २३.०९.२०२२ से जेल में निरुद्ध हैं। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा १६१/१६४ दं०प्र०सं० के अवलोकन के आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण में कोई रोल दर्शित नही होता है। इसी अपराध में समान धाराओं में सहअभियुक्तागण की जमानत इसी न्यायालय से हो चुकी है। विचारण में समय लगना सम्भावित है। यह बाद में साक्ष्य का विषय होगा कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप साबित होते है कि नही। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की जेल में निरूद्धगी को दृष्टिगत रखते हुए मामले में बिना गुणदोष पर मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित पाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **किशन कन्नौजिया** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०–२,००,०००/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू तथा निम्नलिखित शर्तों की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

०१. यह कि अभियुक्त द्वारा दौरान जमानत साक्षीगण के उपस्थित रहने पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया जायेगा।

०२. अभियुक्त दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नही किया जायेगा।

०३. वेविचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(रवीश कुमार अत्री)
विशेष न्यायाधीश(पाक्सो ऐक्ट),
आजमगढ़।
१५.१०.२०२२